21/6/2022

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	देबूराम पुत्र गोविन्दराम जाट, बाबुलाल पुत्र गोरधनलाल मूलीदेवी पत्नी कानाराम जाट जसराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 102/2022 **GCMS No. 2022/** 198

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.6.2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। **ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 451** में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्बन्धित खातेदारान सहमती पत्र प्रदान की है, परन्तु उपरोक्त प्रश्नगत भूमि मेगा हाईवे पर स्थित है जिसमें खातेदार के आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ता है तथा उपरोक्त भूमि उपरोक्त खातेदारान की संयुक्त रूप से दर्ज है तथा सहमति दी जाकर आरे रास्ता क्यों चाहा गया है स्पष्ट नही है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 क्रमांक/प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 दिनॉक 30.09.2021 की श्रेणी में प्रकरण नही आता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	